

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 586] No. 586] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 1, 2019/आश्विन 9, 1941

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 1, 2019/ASVINA 9, 1941

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर ,2019

सा.का.नि. 751(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के महारिजिस्ट्रार का कार्यालय, उप महारिजिस्ट्रार (जनगणना एवं सारिणीकरण) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2011, भारत के महारिजिस्ट्रार का कार्यालय एवं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालयों, संयुक्त निदेशक जनगणना कार्य कार्य समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2012, भारत के महारिजिस्ट्रार का कार्यालय एवं राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालयों और संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालयों, सहायक निदेशक जनगणना कार्य, (तकनीकी) भर्ती नियम, 2012, भारत के महारिजिस्ट्रार का कार्यालय एवं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालयों, सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड ।,भर्ती नियम, 2014, और भारत के महारिजिस्ट्रार का कार्यालय एवं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालयों (सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड ॥), भर्ती नियम, 2013, का अधिक्रमण करते हुए और इस प्रकार के अधिक्रमण करने से पूर्व किए गए कार्य या छोड़े गए किए जाने वाले कार्य के अतिरिक्त, गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के महारिजिस्ट्रार का कार्यालय एवं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालयों में, उप महारिजिस्ट्रार (जनगणना एवं सारणीकरण), संयुक्त निदेशक, जनगणना कार्य, उप निदेशक, जनगणना कार्य, सहायक निदेशक, जनगणना कार्य (तकनीकी), सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड-। और सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड-॥, पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमित करते हुए निम्निलिखित नियम बनाते है:-

- 1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) इन नियमों का नाम गृह मंत्रालय भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय (सांख्यिकीय संवर्ग पद) भर्ती नियम, 2019 होगा ।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

5185 GI/2019

- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और पे मैट्रिक्स में लेवल: पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, उससे जुड़ी पे मैट्रिक्स में लेवल वह होगा जो इन नियमों के साथ संलग्न उल्लिखित अनुसूची के कालम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।
- **3.** भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि: भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उल्लिखित अनुसूची के कालम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **4.** निरर्हताएं: वह व्यक्ति
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है: या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु केन्द्रीय सरकार यदि संतुष्ट है कि, ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग की सलाह से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- **6.** व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे मैट्रिक्स में लेवल	क्या चयन अथवा
				अचयन पद है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. उप महारजिस्ट्रार (जनगणना एवं सारणीकरण)	08* *(2019) *कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	पे मैट्रिक्स में लेवल 13, रूपये 118500- 214100	चयन

सीधे भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी
(6)	(7)	(8)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या	पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन की दशा
कोई हो	पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन	में, ग्रेड जिनमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन
	द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने	किया जाएगा
	वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	
(9)	(10)	(11)
लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति : पे मैट्रिक्स में लेवल12 रूपये 78800-

209200 में संयुक्त निदेशक, जनगणना कार्य ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ ।
नोट 1 : जहां उन कनिष्ठों की नियुक्ति के लिए विचार किया जा रहा हो जिन्होंने अपेक्षित
योग्यता अथवा अर्हक सेवा पूरी कर ली हो, उनके
वरिष्ठ सहकर्मियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्तें कि उनकी वांछित योग्यता अथवा अर्हक,
ऐसी मांगी गई योग्यता अथवा अर्हक सेवा के आधे
से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम नहीं होनी चाहिए और जो अगले उच्च ग्रेड में
पदोन्नति के लिए, अपने उन कनिष्ठों जो पहले ही
ऐसी योग्यता अथवा अर्हक सेवा पूरी कर चुके हैं,
के साथ ही, अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी कर चुके
हैं।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या	है? भर्ती करते समय किन परिस्थि	
	संघ लोक सेवा आयोग से परामः	र्श किया
	जाएगा ।	
(12)	(13)	
समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार		परामर्श
निम्नलिखित शामिल है:	आवश्यक नहीं है ।	
(1) अध्यक्ष अथवा सदस्य,संघ लोक सेवा आयोग	अध्यक्ष	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	सदस्य	
(3) भारत के अपर महारजिस्ट्रार/ संयुक्त सचिव (प्रशा.)		
गृह मंत्रालय -	सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. संयुक्त निदेशक,	35*		5	चयन
जनगणना कार्य	(2019)	सेवा, समूह 'क'	रूपये 78800-209200	
	*कार्यभार के अनुसार संख्या में	राजपत्रित,		
	ु परिवर्तन किया जा सकता है	अननुसचिवीय		

(6)	(7)	(8)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(9) (10)	(11)
लागू नहीं पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर पदोन्नति प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक 208700	: पे मैट्रिक्स में लेवल 11 रूपये 67700-) में उप निदेशक, जनगणना कार्य ग्रेड में पांच नेयमित सेवा के साथ।

नोट : जहां उन किनष्ठों की नियुक्ति के लिए विचार किया जा रहा हो जिन्होंने अपेक्षित योग्यता अथवा अर्हक सेवा पूरी कर ली हो, उनके वरिष्ठ सहकर्मियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्तें कि उनकी वांछित योग्यता अथवा अर्हक सेवा, ऐसी मांगी गई योग्यता अथवा अर्हक सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम नहीं होनी चाहिए और जो अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए, अपने उन किनष्ठों जो पहले ही ऐसी योग्यता अथवा अर्हक सेवा पूरी कर चुके हैं, के साथ ही, अपनी परिवीक्षा अविध पूरी कर चुके हैं।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):

केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों अथवा सांविधिक संगठनों या स्वायत्त निकायों के अन्तर्गत ऐसे अधिकारी. -

(क)(i) जो अपने मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर हों;

अथवा

- (ii)जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में पे मैट्रिक्स में लेवल 11 रूपये 67700-208700 अथवा समकक्ष वेतनमान वाले पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हों; और
- (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों : अनिवार्य :
- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से सांख्यिकी अथवा संक्रिया विज्ञान अथवा जनसंख्या विज्ञान अथवा जन साख्यिकीय अथवा गणित सांख्यिकी अथवा व्यवहारिक सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि:
- (ii) सांख्यिकीय आंकड़ों के संग्रहण का दस वर्ष का अनुभव, जिसमें से तीन वर्ष का अनुभव जनगणना अथवा सर्वेक्षणों के नियोजन, आयोजन और संचालन, सांख्यिकीय आंकड़ों के सारणीकरण और प्रचार-प्रसार का होना चाहिए।

वांछनीय :

(i) प्रशासन, स्थापना और लेखा मामलों का तीन वर्ष का अनुभव।

नोट 1: फीडर वर्ग के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त कर्मचारी पदोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

नोट 2: केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा अन्य संगठन
अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित
किसी अन्य <u>संवर्ग बाह्य</u> पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि
सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा
सहित) सामान्यत: चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।
नोट 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम
आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56
वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(12)		(13)	
समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार	हेतु) जिसमें	प्रतिनियुक्ति पर (अल्पकालिक संविदा सहित)	
निम्नलिखित शामिल हैं:		किसी अधिकारी की नियुक्ति के समय संघ लोक	
1. अध्यक्ष अथवा सदस्य,संघ लोक सेवा आयोग	- अध्यक्ष	सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक है ।	
2. भारत के महारजिस्ट्रार	- सदस्य		
3. भारत के अपर महारजिस्ट्रार अथवा संयुक्त सचिव (प्रशा.)			
गृह मंत्रालय	- सदस्य		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. उप निदेशक,	78* (2019)	सामान्य केन्द्रीय सेवा,	पे मैट्रिक्स में लेवल 11	चयन
जनगणना कार्य	*कार्यभार के अनुसार संख्या	समूह 'क' राजपत्रित,	रूपये 67700- 208700	
	में परिवर्तन किया जा	अननुसचिवीय	208700	
	सकता है			

(6)	(7)	(8)
लाग् नहीं	लाग् नहीं	लागृ नहीं

(9)	(10)	(11)
(9) लागू नहीं	(10) पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)	(11) पदोन्नति : अद्योलिखित में से,- 1. पे मैट्रिक्स में लेवल 10 रूपये 56100-177500 में सहायक निदेशक, जनगणना कार्य ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा सहित भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय के प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा करवाये गये उन्नत जनसांख्यिकीय तकनीक के साथ-साथ जनगणना गतिविधियों और प्रशासनिक अथवा लेखा मामलों संबंधी दो हफ्तों का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो और निम्नलिखित योग्याता धारक हो:-
		सांख्यिकी अथवा गणित अथवा अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य अथवा नृविज्ञान अथवा समाजशास्त्र अथवा संचालन शोध अथवा जनसंख्या विज्ञान अथवा जनसांख्यिकी अथवा गणित सांख्यिकी अथवा व्यवहारिक सांख्यिकी विषय में स्नातक की उपाधि हो

और भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय के प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा करवाये गये उन्नत जनसांख्यिकीय अथवा सांख्यिकीय तकनीक के साथ-साथ जनगणना गतिविधियों और प्रशासनिक अथवा लेखा मामलों संबंधी दो हफ्तों का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो:

अथवा

2. पे मैट्रिक्स में लेवल 10 रूपये 56100-177500 में सहायक निदेशक, जनगणना कार्य (तकनीकी) ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा सहित जिन्होंने उन्नत जनसांख्यिकीय अथवा सांख्यिकीय तकनीक के साथ-साथ जनगणना गतिविधियों और प्रशासनिक अथवा लेखा मामलों पर भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय के प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा आयोजित दो हफ्तों का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो:

नोट 1: अधिकारियो द्वारा संबंधित ग्रेड अथवा पद पर पदोन्नति की पात्रता सूची निर्धारित अर्हक योग्यता सेवा के पूर्ण होने की तिथि के अनुसार बनायी जाएगी।

नोट 2: जहां उन किनष्ठों की नियुक्ति के लिए विचार किया जा रहा हो जिन्होंने अपेक्षित योग्यता अथवा अर्हक सेवा पूरी कर ली हो, उनके वरिष्ठ सहकर्मियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्तें कि उनकी वांछित योग्यता अथवा अर्हक सेवा, ऐसी मांगी गई योग्यता अथवा अर्हक सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम नहीं होनी चाहिए और जो अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए, अपने उन किनष्ठों जो पहले ही ऐसी योग्यता अथवा अर्हक सेवा पूरी कर चुके हैं, के साथ ही, अपनी परीवीक्षा अविध पूरी कर चुके हैं।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :

केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं अथवा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, अर्ध सरकारी तथा सांविधिक संगठनों या स्वायत्त निकायों के अन्तर्गत ऐसे अधिकारी:

- (क)(i) जो अपने मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर हों; अथवा
- (ii)जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में पे मैट्रिक्स में लेवल 10 रूपये 56100-177500 अथवा समकक्ष वेतनमान वाले पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हों; और
- (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों : अनिवार्य :
- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी

अथवा संचालन शोध अथवा जनसंख्या विज्ञान अथवा जन सांख्यिकीय अथवा गणित सांख्यिकी अथवा व्यवहारिक सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि। (ii) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, अर्ध सरकारी एवं सांविधिक संगठनों अथवा स्वायत्त निकायों से सांख्यिकीय आंकड़ों के सारणीकरण अथवा विषलेश्ण अथवा संग्रहण में पांच वर्ष का अनुभव। वांछनीय: प्रशासन अथवा लेखा मामलों अथवा स्थापना मामलों का दो वर्ष का अनुभव। नोट 1: फीडर वर्ग के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त कर्मचारी पदोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। नोट 2: केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से अथवा अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सामान्यत: चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56	
व्यवहारिक सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि। (ii) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, अर्ध सरकारी एवं सांविधिक संगठनों अथवा स्वायत्त निकायों से सांख्यिकीय आंकड़ों के सारणीकरण अथवा विषलेश्ण अथवा संग्रहण में पांच वर्ष का अनुभव। वांछनीय: प्रशासन अथवा लेखा मामलों अथवा स्थापना मामलों का दो वर्ष का अनुभव। नोट 1: फीडर वर्ग के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नित की सीधी लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त कर्मचारी पदोन्नित पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। नोट 2: केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति की त्रविध सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सामान्यत: चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम	अथवा संचालन शोध अथवा जनसंख्या विज्ञान अथवा
(ii) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, अर्ध सरकारी एवं सांविधिक संगठनों अथवा स्वायत्त निकायों से सांख्यिकीय आंकड़ों के सारणीकरण अथवा विषलेश्ण अथवा संग्रहण में पांच वर्ष का अनुभव। वांछनीय : प्रशासन अथवा लेखा मामलों अथवा स्थापना मामलों का दो वर्ष का अनुभव। नोट 1: फीडर वर्ग के विभागीय अधिकारी जो पदोन्ति की सीधी लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त कर्मचारी पदोन्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। नोट 2: केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से अथवा अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य सं <u>वर्ज बाह्य</u> पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सामान्यतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।	जन सांख्यिकीय अथवा गणित सांख्यिकी अथवा
राज्यक्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, अर्ध सरकारी एवं सांविधिक संगठनों अथवा स्वायत्त निकायों से सांख्यिकीय आंकड़ों के सारणीकरण अथवा विषलेशण अथवा संग्रहण में पांच वर्ष का अनुभव। वांछनीय: प्रशासन अथवा लेखा मामलों अथवा स्थापना मामलों का दो वर्ष का अनुभव। नोट 1: फीडर वर्ग के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नित की सीधी लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त कर्मचारी पदोन्नित पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। नोट 2: केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य संयुन् बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सामान्यत: चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम	व्यवहारिक सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि ।
अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, अर्ध सरकारी एवं सांविधिक संगठनों अथवा स्वायत्त निकायों से सांख्यिकीय आंकड़ों के सारणीकरण अथवा विषलेशण अथवा संग्रहण में पांच वर्ष का अनुभव। वांछनीय : प्रशासन अथवा लेखा मामलों अथवा स्थापना मामलों का दो वर्ष का अनुभव। जोट 1: फीडर वर्ग के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नित की सीधी लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त कर्मचारी पदोन्नित पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। जोट 2: केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सामान्यतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। जोट 3: प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम	(ii) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ
सरकारी एवं सांविधिक संगठनों अथवा स्वायत्त निकायों से सांख्यिकीय आंकड़ों के सारणीकरण अथवा विषलेश्ण अथवा संग्रहण में पांच वर्ष का अनुभव। वांछनीय : प्रशासन अथवा लेखा मामलों अथवा स्थापना मामलों का दो वर्ष का अनुभव। नोट 1: फीडर वर्ग के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नित की सीधी लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त कर्मचारी पदोन्नित पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। नोट 2: केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सामान्यतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।	राज्यक्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त
से सांख्यिकीय आंकड़ों के सारणीकरण अथवा विषलेश्ण अथवा संग्रहण में पांच वर्ष का अनुभव। वांछनीय : प्रशासन अथवा लेखा मामलों अथवा स्थापना मामलों का दो वर्ष का अनुभव। नोट 1: फीडर वर्ग के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नित की सीधी लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त कर्मचारी पदोन्नित पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। नोट 2: केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सामान्यत: चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम	अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, अर्ध
अथवा संग्रहण में पांच वर्ष का अनुभव। वांछनीय : प्रशासन अथवा लेखा मामलों अथवा स्थापना मामलों का दो वर्ष का अनुभव। नोट 1: फीडर वर्ग के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नित की सीधी लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त कर्मचारी पदोन्नित पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। नोट 2: केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य सं <u>युर्ग बाह्य</u> पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनयुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सामान्यत: चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम	सरकारी एवं सांविधिक संगठनों अथवा स्वायत्त निकायों
वांछनीय : प्रशासन अथवा लेखा मामलों अथवा स्थापना मामलों का दो वर्ष का अनुभव । नोट 1: फीडर वर्ग के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त कर्मचारी पदोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । नोट 2: केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सामान्यतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । नोट 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम	से सांख्यिकीय आंकड़ों के सारणीकरण अथवा विषलेश्ण
मामलों का दो वर्ष का अनुभव। नोट 1: फीडर वर्ग के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त कर्मचारी पदोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। नोट 2: केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य सं <u>वर्ग बाह्य</u> पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सामान्यतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम	अथवा संग्रहण में पांच वर्ष का अनुभव ।
नोट 1: फीडर वर्ग के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नित की सीधी लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त कर्मचारी पदोन्नित पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । नोट 2: केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सामान्यतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । नोट 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम	वांछनीय : प्रशासन अथवा लेखा मामलों अथवा स्थापना
की सीधी लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त कर्मचारी पदोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । नोट 2: केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सामान्यतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । नोट 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम	मामलों का दो वर्ष का अनुभव ।
विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त कर्मचारी पदोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। नोट 2: केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सामान्यत: चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम	नोट 1: फीडर वर्ग के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति
प्रतिनियुक्त कर्मचारी पदोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। नोट 2: केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य सं <u>वर्ग बाह्य</u> पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सामान्यत: चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम	की सीधी लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए
विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। नोट 2: केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सामान्यतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम	विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार
नोट 2: केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य सं <u>वर्ग बाह्य</u> पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सामान्यतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम	प्रतिनियुक्त कर्मचारी पदोन्नति पर नियुक्ति के लिए
अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य <u>संवर्ग बाह्य</u> पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सामान्यतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम	विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।
अन्य <u>संवर्ग बाह्य</u> पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सामान्यतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम	नोट 2: केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा अन्य संगठन
प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सामान्यतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम	अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी
प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सामान्यतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम	अन्य <u>संवर्ग बाह्य</u> पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित
नोट 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम	प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित)
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56	नोट 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	आय सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56
वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	

(12)		(13)
समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार हेतु) जिसमे	प्रतिनियुक्ति पर (अल्पकालिक	
सम्मलित हैं:		संविदा सहित) किसी अधिकारी की
1. भारत के महारजिस्ट्रार	- अध्यक्ष	नियुक्ति के समय संघ लोक सेवा
2. भारत के अपर महारजिस्ट्रार अथवा भारत के संयुक्त महारजिस्ट्रार	- सदस्य	आयोग का परामर्श आवश्यक है ।
3. उप महारजिस्ट्रार (जनगणना एवं सारणीकरण) अथवा उप सचिव	- सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. सहायक निदेशक, जनगणना कार्य (तकनीकी)	155* (2019) *कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	पे मैट्रिक्स में लेवल 10 रूपये 56100- 177500	चयन

(6)	(7)	(8)
35 वर्ष से अधिक न हों।	अनिवार्यः (i) किसी मान्यताप्राप्त	आयुः नहीं
नोट 1: केन्द्र सरकार द्वारा जारी	विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से सांख्यिकी	शैक्षणिक योग्यताएः नहीं
	अथवा संचालन शोध अथवा जनसंख्या	

में सरकारी कर्मियों के लिए पांच वर्षों की छुट।

नोट 2: आयु सीमा के निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख आवेदकों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य का लद्दाख डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पीति जिला तथा चम्बा जिले का पांगी सब-डिवीजन, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के आवेदकों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख।

विज्ञान अथवा जनसांख्यिकी अथवा गणित सांख्यिकी अथवा व्यवहारिक सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि।

नोट 1: यदि अभ्यर्थी अन्य रूप से सुअर्ह है तो ऐसे मामलों में संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से लिखित में कारण रिकार्ड कर अर्हताओं को शिथिल किया जा सकता है।

नोट 2: अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति के अभ्यार्थियों के लिए अनुभव संबंधी अर्हताओं को संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से लिखित में कारण रिकार्ड कर शिथिल किया जा सकता है यदि चयन के किसी भी चरण के दौरान संघ लोक सेवा आयोग का अभिमत है कि इन समुदायों से आवश्यक अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए संभवतः नहीं है। प्राप्त विश्वविध्यालय से सांख्यिकी अथवा गणित अथवा अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य अथवा नृविज्ञान अथवा समाजशास्त्र अथवा संचालन शोध अथवा जनसंख्या विज्ञान अथवा जन सांख्यिकी अथवा गणित सांख्यिकी अथवा व्यवहारिक सांख्यिकी विषय के साथ स्नातक उपाधि धारक हो।

(9)	(10)	(11)
सीधी भर्तियों और पदोन्नत	75% पदोन्नति द्वारा, जिसके न	पदोन्नति :
व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	अधोलिखित सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड । पे मैट्रिक्स में
	अल्पकालिक संविदा सहित	लेवल 7 रूपये 44900-142400 ग्रेड में तीन वर्षो की
	25% सीधी भर्ती द्वारा	नियमित सेवा अथवा अन्वेषक (सामाजिक अध्ययन) ग्रेड ।
		पे मैट्रिक्स 35400-112400 रूपये के लेवल 6 ग्रेड में
		आठ वर्षों की नियमित सेवा और जनगणना आंकड़ा
		विश्लेषण, रिपोर्ट लेखन, जनसांख्यिकीय तकनीक और
		प्रशासनिक अथवा लेखा मामलों पर भारत के
		महारजिस्ट्रार के कार्यालय के प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा
		आयोजित तीन हफ्तों का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर
		लिया हो:
		नोट 1: अधिकारियो द्वारा संबंधित ग्रेड अथवा पद पर
		पदोन्नति की पात्रता सूची निर्धारित अर्हक योग्यता सेवा के पूर्ण होने की तिथि के अनुसार बनायी जाएगी।
		नोट 2: जहां उन कनिष्ठों की नियुक्ति के लिए विचार
		किया जा रहा हो जिन्होंने अपेक्षित योग्यता अथवा अर्हक
		सेवा पूरी कर ली हो, उनके वरिष्ठ सहकर्मियों पर भी
		विचार किया जाएगा बशर्तें कि उनकी वांछित योग्यता
		अथवा अर्हक सेवा, ऐसी मांगी गई योग्यता अथवा अर्हक
		सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम
		हो, से कम नहीं होनी चाहिए और जो अगले उच्च ग्रेड में
		पदोन्नति के लिए, अपने उन कनिष्ठों जो पहले ही ऐसी
		योग्यता अथवा अर्हक सेवा पूरी कर चुके हैं, के साथ ही,
		अपनी परीवीक्षा अवधि पूरी कर चुके हैं।
	<u> </u>	

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :
केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ
राज्यक्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त
अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों
अथवा सांविधिक संगठनों अथवा स्वायत्त निकायों के
अन्तर्गत ऐसे अधिकारी :
(क)(i) जो अपने मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित
आधार पर अनुरूप पद पर हों; अथवा
(ii)जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में पे मैट्रिक्स रूपये
44900-142400 में लेवल 7 अथवा समतुल्य पद पर
नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में तीन वर्ष
की सेवा पूर्ण कर ली हों; और
(iii) जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में पे मैट्रिक्स रूपये
35400-112400 में लेवल 6 अथवा समकक्ष वेतनमान
वाले पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड
में आठ वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हों; और
(ख) कालम (7) के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित
शैक्षणिक योग्ताएं रखते हों; और
(ii) सांख्यिकीय आंकड़ो के एकत्रण, संकलन,
सारणीकरण और विश्लेषण करने में तीन वर्ष का अनुभव ।
नोट 1: फीडर वर्ग के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति
की सीधी लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए
विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार
प्रतिनियुक्त कर्मचारी पदोन्नति पर नियुक्ति के लिए
विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।
नोट 2: केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा अन्य संगठन
अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी
अन्य <u>संवर्ग बाह्य</u> पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि
(अल्पकालिक संविदा सहित) सहित प्रतिनियुक्ति की
अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सामान्यत: तीन वर्ष
से अधिक नहीं होगी।
नोट 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा
सहित) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(12)		(13)
(1) समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर निम्नलिखित सम्मलित हैं:	विचार हेतु) जिसमें	पद पर नियुक्ति के समय, प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक है।
1.अध्यक्ष अथवा सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग	- अध्यक्ष	आयरपार हो।
2. भारत के महारजिस्ट्रार	- सदस्य	
3. संयुक्त सचिव (प्रशा.) गृह मंत्रालय	- सदस्य	

(2) समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार हेतु) जिसमें निम्नलिखित सम्मलित हैं:

1. भारत के महारजिस्ट्रार

- अध्यक्ष

2.संयुक्त सचिव (प्रशा.) गृह मंत्रालय

- सदस्य
- 3. भारत के अपर महारजिस्ट्रार अथवा भारत के संयुक्त महारजिस्ट्रार अथवा उप महारजिस्ट्रार (जनगणना एवं सारणीकरण) - सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड I	425* (2019)* कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	पे मैट्रिक्स में लेवल 7 रूपये 44900- 142400	चयन

(6)	(7)	(8)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(9)	(10)	(11)
लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति :
		पे मैट्रिक्स रूपये 35400-112400 के लेवल 6 में सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड ॥ के ग्रेड में पांच वर्षों की नियमित सेवा और सांख्यिकीय टूल्स और जनसंख्या अथवा जनसांख्यिकीय विश्लेषण पर भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय के प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा आयोजित चार हफ्तों का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लिया हो । नोट: जहां उन कनिष्ठों की नियुक्ति के लिए विचार किया जा रहा हो जिन्होंने अपेक्षित योग्यता अथवा अर्हक सेवा पूरी कर ली हो, उनके वरिष्ठ सहकर्मियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्तें कि उनकी वांछित योग्यता अथवा अर्हक सेवा, ऐसी मांगी गई योग्यता अथवा अर्हक सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम नहीं होनी चाहिए और जो अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नित के लिए, अपने उन कनिष्ठों जो पहले ही ऐसी योग्यता अथवा अर्हक सेवा पूरी कर चुके हैं, के साथ ही, अपनी परीवीक्षा अविध पूरी कर चुके हैं।

(12)		(13)
समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार हेतु) जिसमें निम्नलिखित		संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
सम्मलित हैं:		आवश्यक नहीं है ।
1. भारत के महारजिस्ट्रार	- अध्यक्ष	
2. भारत के अपर महारजिस्ट्रार अथवा भारत के संयुक्त महारजिस्ट्रार	- सदस्य	
3. अवर सचिव, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय	- सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड ॥	1200* (2019)* कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	पे मैट्रिक्स रूपये 35400-112400 में लेवल 6	चयन

(6)	(7)	(8)
30 वर्ष से अधिक न हों।	अनिवार्य :	नहीं
नोट 1: केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान	
अथवा अनुदेशों के अनुसरण में सरकारी	से किसी भी विषय,जिसमें सांख्यिकी एक विषय हो	
कर्मियों के लिए पांच वर्षों की छूट।	के साथ स्नातक की उपाधि।	
नोट 2: आयु सीमा के निर्धारण के लिए	नोट 1: यदि अभ्यर्थी अन्य रूप से सुअर्ह है तो ऐसे	
निर्णायक तारीख आवेदकों से आवेदन प्राप्त	मामलें में कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम	
करने की अंतिम तारीख होगी न कि असम,	प्राधिकारी के विवेकानुसार लिखित में कारण	
मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,मिजोरम,	रिकार्ड कर अर्हताओं को शिथिल किया जा सकता	
मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू	है।	
व कश्मीर राज्य का लद्दाख डिवीजन,	नोट 2: अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन	
हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पीति जिला	जाति के अभ्यर्थियों के लिए अनुभव संबंधी	
तथा चम्बा जिले का पांगी सब-डिवीजन,	अर्हताओं को कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम	
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह और	प्राधिकारी के विवेकानुसार लिखित में कारण	
लक्षद्वीप के आवेदकों के लिए निर्धारित	रिकार्ड कर अर्हताओं को शिथिल किया जा सकता है	
अंतिम तारीख ।	यदि चयन के किसी भी चरण के दौरान कर्मचारी	
	चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी का अभिमत	
	है कि इन समुदायों से पर्याप्त मात्रा में आवश्यक	
	अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों की उपलब्धता उनके	
	लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए संभवतः	
	नहीं है।	

(9)	(10)	(11)
सीधी भर्तियों और पदोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	70% सीधी भर्ती द्वारा पे मैट्रिक्स रूपये 29200-92300 के लेवल 5 में एक वर्ष की नियमित सेवा वाले विरष्ठ संकलनकर्ता; अथवा पे मैट्रिक्स रूपये 25500-81100 के लेवल 4 में छः वर्ष की नियमित सेवा वाले संकलनकर्ता; अथवा विरष्ठ संकलनकर्ता और संकलनकर्ता के पद पर संयुक्त रूप में छः वर्ष की नियमित सेवा वाले विरष्ठ संकलनकर्ताओं के लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा करायी जाने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा 15% पदोन्नित द्वारा 15% जिसके न होने पर सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा	पदोन्नित: पे मैट्रिक्स रूपये 29200-92300 के लेवल 5 में विरष्ठ संकलनकर्ता छः वर्ष की नियमित सेवा और सांख्यिकीय टूल्स और जनसंख्या अथवा जनसांख्यिकीय विश्लेषण पर भारत के महारिजस्ट्रार के कार्यालय के प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा आयोजित तीन हफ्तों का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो। नोट: जहां उन किनष्ठों की नियुक्ति के लिए विचार किया जा रहा हो जिन्होंने अपेक्षित योग्यता अथवा अर्हक सेवा पूरी कर ली हो, उनके विरष्ठ सहकर्मियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्तें कि उनकी वांछित योग्यता अथवा अर्हक सेवा, ऐसी मांगी गई योग्यता अथवा अर्हक सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम

द्वारा ।	नहीं होनी चाहिए और जो अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के
	लिए, अपने उन कनिष्ठों जो पहले ही ऐसी योग्यता
	अथवा अर्हक सेवा पूरी कर चुके हैं, के साथ ही, अपनी
	परिवीक्षा अवधि पूरी कर चुके हैं ।

	1
(12)	(13)
1. समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार हेतु) जिसमें	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
निम्नलिखित शामिल हैं:	आवश्यक नहीं है ।
(1) भारत के महारजिस्ट्रार - अध्यक्ष	
(2) भारत के अपर महारजिस्ट्रार अथवा भारत के संयुक्त महारजिस्ट्रार अथवा उप	
महारजिस्ट्रार (जनगणना एवं सारणीकरण) - सदस्य	
(3) अवर सचिव (प्रशा.) अथवा उप निदेशक (प्रशा.), भारत के महारजिस्ट्रार का	
कार्यालय - सदस्य	
2. समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार हेतु) जिसमें निम्नलिखित	
शामिल हैं:	
(1) भारत के महारजिस्ट्रार - अध्यक्ष	
(2) भारत के अपर महारजिस्ट्रार अथवा भारत के संयुक्त महारजिस्ट्रार अथवा	
उप महारजिस्ट्रार (जनगणना एवं सारणीकरण) - सदस्य	
(3) अवर सचिव (प्रशा.) अथवा उप निदेशक (प्रशा.), भारत के महारजिस्ट्रार का	
कार्यालय - सदस्य	

[फा. सं. ए-51011/2/2015-प्रशा.V]

डा॰ विवेक जोशी, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2019

G.S.R.751(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Office of the Registrar General, India and the Offices of the Director of Census Operations in the States and Union Territories (Deputy Director of Census) Operations Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2010, the Office of the Registrar General, India Deputy Registrar General (Census and Tabulation) Group 'A' Post Recruitment Rules, 2011, the Office of the Registrar General, India, and the offices of the Directorate of Census Operations in the States and the Union Territories, Joint Director of Census Operations Group 'A' Post Recruitment Rules, 2012, the Office of the Registrar General, India and the Offices of the Directors of Census Operations in the States and Union Territories, Assistant Director of Census Operations (Technical) Recruitment Rules, 2012, the office of the Registrar General, India and the offices of the Director of Census Operations in the States and Union Territories (Statistical Investigator Grade II), Recruitment Rules, 2013, and the Office of the Registrar General, India and the Offices of the Directorates of Census Operations in the States and Union Territories, Statistical Investigator Grade I, Recruitment Rules, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Deputy Registrar General (Census and Tabulation), Joint Directors of Census Operations, Deputy Director of Census Operations, Assistant Director of Census Operations (Technical), Statistical Investigator Grade I and Statistical Investigator Grade II in the Office of the Registrar General, India and in the Offices of the Directorate of Census Operations in States and Union territories, under the Ministry of Home Affairs, namely:-

- 1. **Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Office of the Registrar General, India (Statistical Cadre posts) Recruitment Rules, 2019.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- 2. **Number of posts, classification, level in the pay matrix.**—The number of posts, their classification, pay level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age limit, educational qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, educational qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- 4. **Disqualification.** —No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation of Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay	Whether selection or
			matrix	non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Deputy	8*	General Central	Level 13 in the pay	Selection.
Registrar	(2019)	Service, Group 'A'	matrix Rs. 118500-	
General	*Subject to variation	Gazetted, Non-	214100.	
(Census and	dependent on workload.	Ministerial.		
Tabulation).				

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(6)	(7)	(8)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made
(9)	(10)	(11)
Not applicable	By promotion	Promotion :
		Joint Director of Census Operations in level 12 in the pay matrix Rs. 78800-209200 with five years' regular service in the grade.
		Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition		Public Se to be co	nces in which Urvice Commissionsulted in m	on is
		recruitmen	nt	
(12)			(13)	
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for consideri	ing promotion)	Consultati	on with Union I	Public
consisting of:		Service	Commission	not
(1) Chairman or Member, Union Public Service Commission	-Chairman	necessary.		
(2) Registrar General, India	- Member			
(3) Additional Registrar General, India or Joint Secretary (Administration),				
Ministry of Home Affairs	- Member			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Joint Director of	35*	General Central Service,	Level 12 in the pay	Selection
Census	(2019)	Group 'A' Gazetted, Non-	matrix Rs.78800-	
Operations.	*Subject to variation	Ministerial	209200	
	dependent on			
	workload			

(6)	(7)	(8)	
Not applicable	Not applicable	Not applicable	

(0)	(10)	(44)
(9)	(10)	(11)
Not applicable.	By promotion	Promotion: Deputy Director of Census Operations in level 11 in the pay
	failing which by	matrix Rs.67700-208700 with five years' regular service in the grade.
	deputation	Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility
	(including short-	service are being considered for promotion, their seniors shall also be
	term contract).	considered provided they are not short of the requisite qualifying or
		eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service,
		or two years, whichever is less, and have successfully completed their
		probation period for promotion to the next higher grade alongwith their
		juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
		Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union
		territories or Universities or recognised research institutions or public sector
		undertakings, or statutory organisations or autonomous bodies,-
		(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or
		department;
		or
		(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto
		on a regular basis in level 11 in the pay matrix Rs.67700-208700 or
		equivalent in the parent cadre or department; and
		(b) possessing the following educational qualifications and experience.
		Essential:
		(i) Master's Degree in Statistics or Operational Research or Population
		Sciences or Demography or Mathematical Statistics or Applied Statistics
		from a recognised University or Institute;
		(ii) ten years' experience in statistical data collection out of which three
		years shall be in planning, organisation and conduct of census or surveys,
		tabulation and dissemination of statistical data.
		Desirable: (i) Three years experience in administrations, establishment and
		accounts matters.
		Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in direct
		line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on
		deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration
		for appointment by promotion.
		Note 2: The period of deputation including (including short-term contract)
		including period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately
		preceding this appointment in the same or some other organisation or

	department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four
	years.
	Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not
	exceed fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisti	ng Consultation with
of:-	Union Public Service
(1) Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman	Commission necessary
(2) Registrar General, India Member	while appointing an
(3) Additional Registrar General India or Joint Secretary	officer on deputation
(Administration), Ministry of Home Affairs - Member	(including short term
	contract).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Deputy	78* (2019)	General Central Service,	Level 11 in the pay	Selection.
Director of	*Subject to	Group 'A' Gazetted,	matrix Rs. 67700-	
Census	variation dependent	Non-Ministerial.	208700.	
Operations.	on workload.			

(6)	(7)	(8)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(9)	(10)	(11)
Not	By promotion failing	Promotion:
applicable.	which by deputation	From amongst the,-
TT	(including short-term	1. Assistant Director of Census Operations in level 10 in the pay matrix Rs.
	contract).	56100-177500 with five years' regular service in the grade who have
		successfully completed two weeks training on advanced demographic
		techniques along with census activities and administrative or accounts
		matters training conducted by training division of the Office of the
		Registrar General of India and having the following qualifications,
		namely:-
		Bachelor degree in Statistics or Mathematics or Economics or Commerce
		or Anthropology or Sociology or Operational Research or Population
		Sciences or Demography or Mathematical Statistics or Applied Statistics
		and having successfully qualified two weeks training on advanced
		demographic or statistical techniques along with census activities and
		administrative or accounts matters training conducted by the training
		division of the Office of the Registrar General of India; or
		2 Assistant Director of Concus Operations (Tachnical) in level 10 in the
		2. Assistant Director of Census Operations (Technical) in level 10 in the pay matrix Rs. 56100-177500 with five years' regular service in the grade
		who have successfully completed two weeks training on advanced
		demographic or statistical techniques along with census activities and
		administrative or accounts matters training conducted by the training
		division of the Office of the Registrar General, India.
		The second of the stegment of
		Note 1: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to
		the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in
		the respective grade or post.
		Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility
		service are being considered for promotion, their seniors shall also be
		considered provided they are not short of the requisite qualifying or
		eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service
		or two years which ever is less, and have successfully completed their
		probation period for promotion to the next higher grade alongwith their

juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territories or Universities or recognised research institutions or public sector undertakingsor statutory orgnisations or autonomous bodies,-(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 10 in the pay matrix Rs. 56100-177500 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: Essential: (i) Master's degree from a recognised University in Statistics or Operational Research or Population Sciences or Demography or Mathematical Statistics or Applied Statistics; (ii) five years' experience in tabulation or analysis or collection of statistical data from the Central Government or State Government or Union territories or Universities or recognised research institutions or public sector undertakings, semi-Government and statutory orgnisations or autonomous Desirable: Two years experience in administration or accounts matters or establishment matters. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shallbe not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)		
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-	Consultation with Union Public Service Commission is necessary		
(1) Registrar General, India - Chairman	while appointing an officer on deputation (including short-term		
(2) Additional Registrar General, India or Joint Registrar General, India - Member	contract).		
(3) Deputy Registrar General (Census & Tabulation) or Deputy Secretary - Member			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Assistant	155*	General Central	Level 10 in the	Selection.
Director of Census	(2019)	Service, Group 'A'	pay matrix Rs.	
Operations	* Subject to variation	Gazetted, Non-	56100-177500.	
(Technical).	dependent on workload.	Ministerial.		

(6)	(7)	(8)		
Not exceeding 35 years.	Essential: Master's Degree in Statistics or	Age: No		
Note 1: Relaxable for Government	Operational Research or Population Sciences Educational Quali			
servants upto five years in accordance	or Demography or Mathematical Statistics or	No.		
with the instructions or orders issued	Applied Statistics from a recognised	However, the promotee shall		
by the Central Government.	University or Institute.	possess a degree in		
Note 2: The crucial date for	Note 1: The qualifications are relaxable at the	Statistics or Mathematics or		
determining the age limit shall be the	discretion of the Union Public Service	Economics or Commerce or		
closing date for receipt of applications	Commission for reasons to be recorded in	Sociology or Anthropology		
from candidates and not the closing	writing, in the case of candidates otherwise	or Demography or		
date prescribed for those in Assam,	well qualified.	Operations Research or		
Meghalaya, Arunachal Pradesh,	Note 2: The qualifications regarding	Population Sciences or		

Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates fromthese communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Mathematical Statistics or Applied Statistics as a subject of study from a recognized university.

(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruits and promotees.	75 % by promotion failing which by deputation including short-term contract; 25% by direct recruitment.	Promotion: From amongst the Statistical Investigator Grade I in level 7 in the pay matrix Rs. 44900-142400 with three years' regular service or Investigator (Social Studies) Grade I in level 6 in the pay matrixRs. 35400-112400 with eight years' regular service in the grade who have successfully qualified three weeks training on census data analysis, report writing, demographic technique and administrative or accounts matters conducted by training division of the Office of the Registrar General, India.
		Note 1: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post.
		Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
		Deputation (including short-term contract):
		Officers of the Central Government or State Government or Union territories or Universities or recognised research institutions or public sector undertakings or statutory organisations or autonomous bodies,-
		(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or
		(ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in level 7 in the pay matrix Rs. 44900-142400 or equivalent in the parent cadre or department; or
		(iii) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in level 6 in the pay matrix Rs. 35400- 112400 or equivalent in the parent cadre or department;
		(b) possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column (7); and
		(ii) three years experience in collection, compilation, tabulation and analysis of statistical data.
		Note 1 : The departmental officers in the feeder categories who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
		Note 2 : The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other

organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.
Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)		
1. Group 'A' Departmental Promotion Committee (for con	nsidering promotion)	Consultation	with
consisting of:-		Union Public	Service
(1) Chairman or Member, Union Public Service Commission	- Chairman	Commission	is
(2) Registrar General, India	- Member	necessary	for
(3) Joint Secretary (Administration), Ministry of Home Affairs.	- Member	appointment	to the
2. Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for consideration)	dering confirmation)	post on each o	ccasion.
consisting of:-			
(1) Registrar General, India	- Chairman		
(2) Joint Secretary (Administration) Ministry of Home Affairs	- Member		
(3) Additional Registrar General, India or Joint Registrar General, India			
or Deputy Registrar General (Census & Tabulation)	- Member		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Statistical	425*	General Central Service,	Level 7 in the	Selection.
Investigator Grade	(2019)* Subject to	Group 'B' Gazetted,	pay matrix Rs.	
I.	variation dependent on	Non-Ministerial.	44900-142400.	
	workload.			

(6)	(7)	(8)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(9)	(10)	(11)
Not applicable.	By promotion.	Promotion:
		Statistical Investigator Grade II in level 6 in the pay matrix Rs. 35400-
		112400 with five years' regular service in the grade and having
		successfully qualified four weeks training on statistical tools and
		population or demographic analysis conducted by training division of the
		Office of the Registrar General, India.
		Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility
		service are being considered for promotion, their seniors shall also be
		considered provided they are not short of the requisite qualifying or
		eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service,
		or two years, whichever is less, and have successfully completed their
		probation period for promotion to the next higher grade alongwith their
		juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)			(13)	
Group 'B' Departmental Promotion Committee (considering for promotion)			with	Union
consisting of:-		Public Service	e Com	mission
(1) Registrar General, India	- Chairman	not necessary.		
(2) Additional Registrar General, India or Joint Registrar General, India	- Member			
(3) Under Secretary, Office of the Registrar General, India	- Member			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. Statistical	1200*	General Central Service,	Level 6 in the pay matrix	Selection
Investigator	(2019)*	Group 'B' Non-Gazetted,	Rs. 35400-112400	
Grade II	Subject to	Non-Ministerial		
	variation			
	dependent or			
	workload			

(6)	(7)	(8)
Not exceeding 30 years.	Essential:	No
Note 1: Relaxable for Government	Bachelor degree in any subject with Statistics as one of the	
servants upto five years' in accordance	subject from a recognised University or Institute.	
with the instructions or orders issued by	Note1 : The qualifications are relaxable at the discretion of	
the Central Government.	the Staff Selection Commission or competent authority, for	
Note 2: The crucial date for	reasons to be recorded in writing, in case of candidates	
determining the age limit shall be the	otherwise well qualified.	
closing date for receipt of applications	Note 2: The qualification regarding experience is relaxable	
from candidates and not the closing	at the discretion of the Staff Selection Commission or	
date prescribed for those in Assam,	competent authority, for reasons to be recorded in writing	
Meghalaya, Arunachal Pradesh,	in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes	
Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura,	or the Scheduled Tribes, if at any stage of Selection the	
Sikkim, Ladakh Division of Jammu and	Staff Selection Commission or competent authority is of	
Kashmir State, Lahaul and Spiti district	the opinion that sufficient number of candidates from these	
and Pangi Sub-Division of Chamba	communities possessing the requisite experience are not	
district of Himachal Pradesh, Andaman	likely to be available to fill up the vacancies reserved for	
and Nicobar Islands and Lakshadweep.	them.	

(9)	(10)	(11)
Two years for direct	70% by direct recruitment.	Promotion:
recruits and	15% by Limited Departmental	Senior Compiler with six years' regular service in level
promotees.	Competitive Examination to be	5 in the pay matrix Rs. 29200-92300 having
	conducted by the Staff Selection	successfully qualified three weeks training on
	Commission from amongst Senior	statistical tools and population or demography
	Compiler with one year regular service	analysis conducted by training division of the Office
	in level 5 in the pay matrix Rs. 29200-	of the Registrar General, India.
	92300; or Compiler with six years'	Note: Where juniors who have completed their qualifying
	regular service in level 4 in the pay	or eligibility service are being considered for promotion,
	matrix Rs. 25500-81100; or Senior	their seniors shall also be considered provided they are
	Compiler with six years' combined	not short of the requisite qualifying or eligibility service
	regular service in the grades of Senior	by more than half of such qualifying or eligibility service
	Compiler and Compiler.	or two years, which ever is less, and have successfully
	15% by promotion failing which by	completed their probation period for promotion to the
	Limited Departmental Competitive	next higher grade alongwith their juniors who have
	Examination.	already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
1. Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting	Consultation with
of :-	Union Public
(1) Registrar General, India -Chairman	Service
(2) Additional Registrar General or Joint Registrar General, India or Deputy Registrar General	Commission not
(Census and Tabulation) - Member	necessary.
(3) Under Secretary (Administration) or Deputy Director (Administration), Office of the Registrar	
General, India -Member	
2. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation)	
consisting of:-	
(1) Registrar General, India -Chairman	
(2) Additional Registrar General or Joint Registrar General, India or Deputy Registrar General	
(Census and Tabulation) - Member	
(3) Under Secretary (Administration) or Deputy Director (Administration), Office of the Registrar	
General, India -Member	

[F. No. A-51011/2/2015-Ad-V]

Dr. VIVEK JOSHI, Registrar General & Census Commissioner of India